UPET120072352022

न्यायालय: सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० जलेसर, एटा।
उपस्थिति: श्री मोहित कुमार, उ 0 प्र 0 न्यायिक सेवा (J.O. CODE – U.P. 4823)
परिवाद सं0- 3302/2022

सुरेश चन्द्र **-बनाम-** रोहित कुमार

धारा 138 एन०आई० एक्ट
थाना– कोतवाली नगर, जिला एटा

आदेश

12.03.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र 16 अ प्रस्तुत कर कथन किया है कि उपरोक्त दाण्डिक परिवाद में प्रार्थी वादी मुकदमा है। प्रार्थी द्वारा चैक सं० 562241 मुव० 9,00,000/– (नौ लाख रु०) की बावत दायर किया था, जिसमें चन्द भले लोगों द्वारा समझौता कराकर प्रार्थी को विपक्षी से 4,00,000/– (चार लाख रुपये) दिला दिये हैं। जिससे अब कोई विवाद शेष नहीं है और प्रार्थी/वादी मुकदमा की कार्यवाही समाप्त करना चाहता है। अतः उक्त आधार पर पक्षकारों द्वारा यह मुकदमा समाप्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि सुरेश चन्द्र की ओर से प्रस्तुत परिवाद के आधार पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 14.09.2022 द्वारा विपक्षी रोहित कुमार सिंह को धारा 138 पराक्रम्य अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया गया था। परिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र 16 अप्रस्तुत कर कथन किया है कि विपक्षी के मध्य चैक सं० 562241 मुव० 9,00,000/– (नौ लाख रु०) का विवाद था, जिसे चन्द भले व्यक्तियों के सहयोग से समझौता हो गया है। विपक्षी पर अब कोई देय शेष नहीं है।

प्रस्तुत प्रकरण एन०आई० एक्ट की धारा 147 के अनुसार शमनीय है। परिवादी के अनुसार विपक्षी से उसका फैसला हो गया है, जिसके अनुसार उसको 4,00,000/– रु० की धनराशि प्राप्त हो गयी है, अब कोई विवाद शेष नहीं है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों में यह परिवाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

–आदेश–

तदनुसार, परिवाद सं०– 3302/2022 सुरेश चन्द्र बनाम रोहित कुमार अन्तर्गत धारा 138 एन०आई०एक्ट, थाना अवागढ़, जिला एटा, निस्तारित किया जाता है व अपराध का शमन किया जाता है। पत्रावली पर दाखिल प्रार्थना 16 अ इस निर्णय का हिस्सा रहेगा। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मोहित कुमार)
सिविल जज (जू०डि०)/
जे०एम० जलेसर, एटा।
(J.O. CODE – U.P. 4823)

दिनांक- 12.03.2026